

न्यायालय-: गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट,
जिला-अलीराजपुर म०प्र०



प्रकरण क. / आर.सी.टी. / 861 / 2023

फाईलिंग नंबर आर.सी.टी. / 1693 / 2023

सी.एन.आर.नंबर एम.पी. 690500 / 1923 / 2023

संस्थित दिनांक 03/08 / 2023

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र
 जिला अलीराजपुर (म०प्र०) उदधु

अभियोगी।

:: बनाम ::

1. उदधु पिता केसू जाति भोजपुरी
 उम्र 52 साल निवासी भोजपुरी जिला अलीराजपुर
 (म०प्र०)

अभियुक्त

(पुलिस थाना उदधु जिला अलीराजपुर
 के अपराध क. 250 / 2023 अपराध
 अंतर्गत धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी
 अधिनियम 1915 से उद्भूत प्रकरण)

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 03/08 / 2023 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त उदधु के विरुद्ध 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 09/07/20 को समय 15-05 बजे स्थान उदधु-कोरा आम रोड पर 10 मीटर शराब को बिना लायसेंस के रखे हुये था।
2. अभियुक्त उदधु द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति, अभियोगपत्र तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुये उसे अधिनियम एवं धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

3. दोषी उदधु को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में

(गार्गी शर्मा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 जोबट, जिला अलीराजपुर (म. प्र.)

दोषसिद्ध पाकर1500/-... रुपये के अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की दशा में 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में जप्तशुदा 10 मीटर लंबाई का ब्रॉड रिजिन
मप की जाये।

5. दोषी के जेल में रहने के संबंध में धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय
में हस्ता. एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।
किया गया ।

(गार्गी शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जोबट जिला अलीराजपुर (म०प्र०)

(गार्गी शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जोबट जिला अलीराजपुर (म०प्र०)